



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012023-241832
CG-DL-E-10012023-241832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]
No. 121]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2023

का.आ. 127(अ).—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 4 की उप-धारा 1(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, की दिनांक 03.09.2019 की संख्या का.आ. 3190(अ) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, मद संख्या (सी) (ii) से (v) के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाता और प्रविष्टि निम्नानुसार होगी-

- “(ii) श्री सुरेंद्र कुमार बागडे, अतिरिक्त सचिव (एच एंड वी);
- (iii) श्री रवि कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव (एल एंड ई);
- (iv) सुश्री शिल्पा शिंदे, प्रबंध-निदेशक (डीटीसी),
- (v) श्री संजय गोयल, सचिव (यू.डी.)”

[फा. सं.14011/20/2019-दिल्ली-II]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में दिनांक 03.09.2019 की संख्या का.आ. 3190 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात इसे दिनांक 17.09.2019 की संख्या का.आ. 3352 (अ), दिनांक 13.02.2020 की संख्या का.आ. 715 (अ), दिनांक 21.04.2020 की संख्या का.आ. 1321 (अ), दिनांक 18.05.2020 की संख्या का.आ. 1602 (अ), दिनांक 16.07.2020 की संख्या का.आ. 2383 (अ), दिनांक 26.08.2021 की संख्या का.आ. 3505 (अ) और दिनांक 25.10.2021 की संख्या का.आ. 4602 (अ) के तहत संशोधित किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2023

S.O. 127(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, published in the Official Gazette vide Notification number S.O.3190(E) dated 03.09.2019 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

2. In the said notification, in paragraph 1, for item No.(c) (ii), (iii), (iv) and (v) and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted namely:-

- “(ii) Shri Surendrakumar Bagde,
Additional Secretary (H&V)
- (iii) Shri Ravi Kumar Arora,
Joint Secretary (L&E)”
- (iv) Smt. Shilpa Shinde,
MD(DTC)
- (v) Shri Sanjay Goel,
Secretary (UD)”

[F. No.14011/20/2019-Delhi-II)

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O.3190(E), dated the 3rd September, 2019 and subsequently amended vide No.S.O. 3352(E) dated the 17th September, 2019, S.O. 715(E) dated 13.02.2020, S.O.1321 (E) dated 21.04.2020, S.O.1602(E) dated 18.05.2020, S.O.2383(E) dated 16th July, 2020, S.O.3505(E) dated 26.08.2021 and S.O.4602(E) dated 25.10.2021.